न्यायालय जिला कलक्टर,नागौर
बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 54/2025
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2025/62

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक(अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर

बनाम

अप्रार्थी

1–श्री प्रभुराम पुत्र चांदमल जाति–नायक निवासी–सबलपुरा,तहसील–कुचामन (वाहन चालक)
2–श्री किशोर पुत्र भगाराम,जाति–जाट, निवासी–कजनाउ कलां पुलिस थाना खेड़ापा जिला जोधपुर
3–श्री रूपाराम पुत्र भींयाराम,जाति–सैन निवासी बुरड़ी पुलिस थाना सुरपालिया जिला नागौर
4–श्री सुनील पुत्र परसाराम जाति–जाट,निवासी कजनाउकलां पुलिस थाना खेडापा,जिला जोधपुर(संचालक मैं0 होटल हरिओम रातड़ी, जोधपुर)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनियां।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री भंवरलाल पोटलिया ।

निर्णय **दिनांक :–02.05.2025**

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा वाहन संख्या–आर.जे. 54 जी.ए. 0420 एवं 3 प्लास्टिक ड्रम मय 570 लीटर पेट्रोल एवम् 06 प्लास्टिक ड्रम मय 1140 लीटर डीजल को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री भंवरलाल पोटलिया ने दिनांक 21.04.2025 को जबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि हम अप्रार्थीगण के खिलाफ यह प्रार्थना–पत्र मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रकरण बनाकर पेश किया गया हैं। श्री भागीरथ जाजड़ा पुत्र रामाराम जाजड़ा जाति–जाट,निवासी–कजनाउ कलां की हरि ओम बोरवेल फर्म है,उक्त फर्म बोरवेल खुदाई का कार्य मशीनों से करती हैं,उन मशीनों के उपयोग के लिए एवं घरेलू कार्य व व्यवसाय के लिए प्रकरण में जब्त सुदा पेट्रोल एवं डीजल खरीद किया गया था। अप्रार्थी रूपाराम उक्त फर्म में बतौर कर्मकार नियोजित हैं एवं सुनील,भागीरथ जाजड़ा का भतीजा हैं। अप्रार्थी प्रभूराम,सुनील के कहने पर वाहन पंजीयन संख्या आरजे 54 जीए 0420 का वाहन चालक था। भागीरथ जाजड़ा ने अपनी फर्म की बोरबेल खुदाई की मशीनों व अन्य वाहनों के संचालन के लिए ईधन के रूप में डीजल व पेट्रोल खरीदकर लाने के लिए सुनील से वाहन पंजीयन संख्या आरजे 54 जी.ए. 0420 मांग कर लिया था एवं वाहन श्री प्रभूराम द्वारा चलाया जा रहा था,जिसे किसी भी

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

सूरत में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता हैं। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें तथा अप्रार्थीगण के खिलाफ पेश की गई यह कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावें।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में मूल प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि दिनांक 25.02.2025 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर,नागौर द्वारा दूरभाष पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण व परिवहन के सम्बन्ध में सूचना जिला रसद अधिकारी,नागौर को दिये जाने पर श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी,नागौर के नेतृत्व में श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक सरकारी वाहन से मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर थानाधिकारी सदर पुलिस थाना,नागौर से प्राप्त तहरीर के आधार पर मौके पर पुलिस थाना सदर थाना,नागौर द्वारा डिटेन सुदा वाहन संख्या आरजे 54 जी.ए. 0420 का निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर डिटेन सुदा वाहन में पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए कुल 09 प्लास्टिक ड्रम भण्डारित पाये गये जिनके ढक्कन खोलकर भरे हुए कुछ पेट्रोलियम पदार्थ को एक स्वच्छ एल्युमिनियम की बाल्टी में पाईप के जरिये बाहर निकालकर मैसर्स गुलाबदास आत्माराम फिलिंग स्टेशन मानासर,नागौर के प्रतिनिधि श्री सुनील पुत्र श्री दयाराम को मौके पर बुलाया जाकर डेनसिटी लेने पर 03 प्लास्टिक ड्रमों में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी 24 C पर 738.0 पाई गई जो शुद्ध पेट्रोल एमएस प्रमाणित होता हैं। तीनों प्लास्टिक ड्रमों में भरे हुए पेट्रोल का मापन करने पर प्रत्येक ड्रम में 190 लीटर पेट्रोल पाया गया अर्थात तीनों ड्रमों मे 570 लीटर पेट्रोल पाया गया। तीनों ड्रमों को मार्का ए–1,ए–2,ए–3 दिया गया। शेष 6 प्लास्टिक के ड्रमों में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी 28 C तापमान पर 822.2 आयी जो शुद्ध डीजल(एचएसडी) प्रमाणित होता हैं। इन कुल 6 ड्रमों में कुल 1140 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। सभी ड्रमों को मार्का बी–1 से लगायत बी–6 दिया गया। मौके पर उपस्थित पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 54 जी.ए. 0420 के चालक व सहचालक से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये गये जिन्होंने अपने बयानों में बताया कि होटल हरिओम रातडी(जोधपुर) के संचालक श्री रूपाराम निवासी–बुरड़ी तहसील जायल व श्री सुनील द्वारा दिनांक 24.02.2025 को रात्रि 8.30 बजे इस पीकअप में कुल 9 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर इसे बीकानेर जिले में परिवहन कर विकय हेतु दोनों को भेजा गया और कहा गया कि बीकानेर जिलें में पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने वाली पार्टी आपसे पहुंचने से पहले सम्पर्क कर लेगी। हम डीजल–पेट्रोल को विकय हेतु बीकानेर ले जा रहे थे कि जेएसके होटल बाईपास रिंग रोड,नागौर से पहले पुलिस द्वारा वाहन को रोक कर पुलिस थाना सदर,नागौर लाकर खड़ा किया गया। श्री रूपाराम व श्री सुनील मौके पर उपस्थित नहीं हुए। मौके पर उपस्थित श्री प्रभुराम व श्री किशोर से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण परिवहन व विकय से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र मांगे जाने पर इनके द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और इन्होंने इस सम्बन्ध में इनके पास किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किये जाने पर पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 54 जीए 0420 में कुल 9 प्लास्टिक ड्रमों में भण्डारित कुल 570 लीटर पेट्रोल व 1140 लीटर डीजल व पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन में उपयोग किये गये वाहन पिकअप संख्या आर.जे. 54 जी.ए. 0420 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। जब्तसुदा पेट्रोल व डीजल

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

से भरे हुए कुल 9 ड्रमों को प्लास्टिक सीलों से सील्ड किया गया हैं,जिनका विवरण हमने प्रार्थना–पत्र में दर्शाया हैं।

प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) का यह भी कथन था कि जब्त सुदा पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 54 जी.ए. 0420 मय कुल 3 प्लास्टिक ड्रमों में भरे हुए 570 लीटर मोटर स्प्रिट(पेट्रोल) व कुल 6 ड्रमों में भरे हुए कुल 1140 लीटर एचएसडी (डीजल) सील्डसुदा को प्रकरण का निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु प्रभारी मालखाना पुलिस थाना सदर,नागौर की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार श्री प्रभुराम,श्री किशोर,श्री रूपाराम व श्री सुनील का यह कृत्य Motor Sprit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Mal-practices) order 2005 का स्पष्ट उल्लघंन हैं,जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय उपराध हैं। इसलिए निवेदन हैं कि प्रकरण में जब्तसुदा 570 लीटर पेट्रोल मय 3 प्लास्टिक ड्रम,1140 लीटर डीजल मय 6 प्लास्टिक ड्रम मय वाहन संख्या आर.जे. 54 जी.ए. 0420 को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत सम्पहरण(Confiscate) किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस जबाब प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खिलाफ श्रीमान् के समक्ष मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रकरण बनाकर पेश किया हैं। जबकि वास्तविक स्थिति इस प्रकार हैं कि भागीरथ जाजड़ा पुत्र रामाराम जाजड़ा जाति–जाट,निवासी कजनाउ कलां की हरि ओम बोरबेल फर्म हैं,उक्त फर्म बोरबेल खुदाई का कार्य मशीनों से करती हैं। इन खुदाई मशीनों के उपयोग हेतु यह पेट्रोल एवं डीजल खरीद कर लाया गया था। पेट्रोल एवं डीजल खरीद का बिल हमारे द्वारा पत्रावली में पेश किया गया हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी का यह भी कथन हैं कि अप्रार्थी रूपाराम उक्त फर्म में बतौर कार्यकारी कर्मचारी नियुक्त हैं तथा अप्रार्थी सुनील फर्म मालिक भागीरथ का भतीजा हैं। अप्रार्थी प्रभूराम फर्म मालिक के भतीजे सुनील के कहने पर वाहन संख्या आर.जे. 54 जी.ए. 0420 का वाहन चालक था। भागीरथ जाजड़ा ने अपनी फर्म की बोरबेल खुदाई की मशीनों व अन्य वाहनों के संचालन के लिए ईधन के रूप में डीजल व पेट्रोल खरीदकर लाने के लिए सुनील से वाहन सख्या आर.जे. 54 जीए 0420 मांगकर लिया था,क्योंकि वो सुनील के चाचा लगते हैं। वाहन संख्या आर.जे. 54 जी.ए. 0420 का मुख्त्यार खास सुनिल होने से इस वाहन का संचालन सुनिल द्वारा ही किया जाता हैं। उस रोज सुनिल की तबीयत नरम होने से सुनील द्वारा प्रभूराम को गाड़ी देकर कार्य के लिए भेजा था तथा प्रभूराम द्वारा अपने मित्र किशोर को भी मदद के लिए साथ ले लिया था। फर्म मालिक द्वारा ईधन मंगवाये जाने पर फर्म के व्यक्तिगत कार्य हेतु यह डीजल व पेट्रोल खरीद किया गया,उक्त डीजल व पेट्रोल की जॉच करने पर यह शुद्ध पाया गया हैं। वैसे भी वर्तमान में डीजल व पेट्रोल की बिकी के लिए पेट्रोल पम्पों के मालिकों को प्रयास कर निर्धारित दरों पर ज्यादा डीजल व पेट्रोल बेचने के प्रयास करना पड़ता हैं,जो सर्वविदित हैं। इस इस्तगासा में तमाम तथ्यें झूठे दर्शाये गये हैं एवं अप्रार्थी किशोर व प्रभुराम के बयान मनगढ़त व बेबुनियाद दर्ज किये गये हैं। न तो हमारी मंशा इस पेट्रोलियम पदार्थ को विक्रय/ब्लेकमेल करने की थी एवं न ही हैं। यहॉ यह भी उल्लेखित करना चाहता हूँ कि हमारे बयानों में इस पट्रोलियम पदार्थ को बीकानेर जिले में विक्रय करने के तथ्य दर्ज करवाये हैं,जबकि बीकानेर जिले में भी डीजल व

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

पेट्रोल के पम्प सर्वाधिक हैं एवं हर वक्त पर निर्धारित दर पर पेट्रोल व डीजल उपलब्ध हैं,जो नागौर जिले से सस्ती दरों पर उपलब्ध रहता हैं तो फिर यहाँ से वहाँ क्यों ले जायेगें यह विचारणीय बिन्दू हैं। गाड़ी के सम्पूर्ण कागजात हमारे पास हैं तथा क्रय किये गये डीजल एवं पेट्रोल के बिल हमारे पास हैं,इसलिए निवेदन हैं कि हमारा क्रय सुदा डीजल एवं पेट्रोल हमें सुपुर्द किया जावें तथा हमारी गाड़ी पुलिस थाना से हमें सुपुर्द करवायी जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी का यह भी कथन हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना सदर,नागौर में प्रकरण दर्ज हो जाने से अब आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत ओर कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं। इसलिए भी यह प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य हैं।

प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रिबेटल में कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार कार्यवाही मौके पर ही की गई, जिसके संबंध में मौके पर ही फर्द मौका एवं जब्ती/सुपुर्दगीनामा दिनांक 25.02.2025 तैयार की गई जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों एवं अप्रार्थीगण प्रभूराम,किशोरराम के हस्ताक्षर है। फर्द में सुपुर्दगी देने वाले एवं लेने वाले के हस्ताक्षर भी है। मौके पर ही अप्रार्थीगण किशोरराम व प्रभूराम के दिनांक 25.02.2025 को बयान लिये गये, जिन पर भी उनके हस्ताक्षर है, उक्त बयानों की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। उपर्युक्त समस्त दस्तावेजों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद होती है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जब्त सुदा पेट्रोल एवं डीजल उनके क्रय सुदा होना एवं उनके निजी फर्म कार्य हेतु उपयोग लेने का कथन मात्र किया है, जो कतई गलत एवं मिथ्या कथन है। हस्तगत प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत मोटर स्प्रिीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का अप्रार्थीगण द्वारा उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत कार्यवाही हेतु विधि अनुसार यह प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 जो की एक दण्डनीय अपराध होने से उक्त संबंध में पृथक से प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सदर,नागौर में दर्ज करवाई गई है। इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत कार्यवाही तथा उक्त अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही, पृथक–पृथक कार्यवाही है। उक्त अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना सदर,नागौर में दर्ज होने से हस्तगत प्रकरण में बाद सुनवाई निर्णय किये जाने में किसी प्रकार की रोक नहीं है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो की उक्त अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने से उक्त अधिनियम की धारा 6ए के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है, का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर,नागौर से प्राप्त तहरीर के आधार पर जिला रसद अधिकारी, नागौर ने अन्य कार्मिकों के साथ पुलिस थाना सदर,नागौर पहुंच कर पुलिस द्वारा डिटेन सुदा वाहन सं. आर.जे. 54 जी.ए. 0420 पिकअप व उसमे भरे हुए 09 प्लास्टिक ड्रमों ने भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान उक्त डिटेन सुदा वाहन संख्या आर.जे. 54 जी.ए. 0420 पिकअप जिसमें रखे हुए 09 प्लास्टिक के ड्रमों में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ पाए गए जिनके ढक्कन खोलकर भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ को एक स्वच्छ एल्यूमिनियम की बाल्टी में कुछ

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

मात्रा में पाइप के जरिए बाहर निकालकर मैसर्स गुलाबदास आत्माराम फिलिंग स्टेशन मानासर, नागौर के प्रतिनिधि श्री सुनील पुत्र दयाराम को मौके पर बुलाकर डेनसिटी लेने पर 03 प्लास्टिक ड्रमों में भरे हुए पैट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी 24 °C पर 738.0 पायी गयी जो शुद्ध पेट्रोल एमएस प्रमाणित हुआ हैं तथा तीनों प्लास्टिक ड्रमों में कुल 570 लीटर पेट्रोल पाया गया। शेष 06 प्लास्टिक ड्रमों में भरे हुए पोट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी 28 °C तापमान पर 822.2 आयी जो शुद्ध डीजल (HSD) प्रमाणित हुआ हैं। इन कुल 06 ड्रमों में भरे हुए डीजल का मापन कुल 1140 लीटर डीजल पाया गया हैं। जिससे यह तो साबित हैं कि जब्त सुदा पैट्रोलियम पदार्थ शुद्ध पैट्रोल एवं शुद्ध डीजल हैं। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी श्री प्रभूराम वाहन चालक आर.जे. 54 जी.ए. 0420 व अप्रार्थी सहचालक श्री किशोरराम से पूछताछ कर बयान दर्ज किये गये हैं, जिन्होंने अपने बयानों में बताया कि होटल हरिओम रातड़ी (जोधपुर) के संचालक श्री रूपाराम निवासी–बुरड़ी(नागौर) व श्री सुनील द्वारा दिनांक 24.02.2025 को रात्रि 8.30 बजे इस पिकअप में कुल 09 ड्रमों में पैट्रोलियम पदार्थ भरकर इसे बीकानेर जिले में परिवहन कर विक्रय हेतु दोनों को भेजा गया और कहा गया कि बीकानेर जिले में पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने वाली पार्टी आपसे पहुंचने से पहले सम्पर्क कर लेगे। हम डीजल एवं पेट्रोल को विक्रय हेतु बीकानेर जा रहे थे कि जेएस के होटल बाईपास रिंगरोड,नागौर से पहले पुलिस द्वारा वाहन को रोककर पुलिस थाना सदर,नागौर लाकर खड़ा किया गया। बयानों में यह भी बताया कि उनके पास पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण,परिवहन और विक्रय के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। इस प्रकार अप्रार्थी किशोरराम एवं प्रभूराम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पिकअप वाहन आर.जे. 54 जी.ए. 0420 मय 09 ड्रमों में भण्डारित कुल 570 लीटर पेट्रोल व 1140 लीटर डीजल को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तसुदा पिकअप में भरे हुए ड्रमों में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ की नियमानुसार जॉच करने पर शुद्ध पेट्रोल एवं डीजल पदार्थ होना पाया गया हैं,जिसके परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण में रसद विभाग द्वारा मौके पर कार्यवाही करते हुए फर्द मौका एवं जब्ती, फर्द नमूना तैयार की है जिस पर अन्य के साथ–साथ किशोरराम एवं प्रभूराम के भी हस्ताक्षर है। रसद विभाग द्वारा जब्तशुदा वाहन व पेट्रोलियम पदार्थ से भरे 09 प्लास्टिक के ड्रम जिनमें से 03 प्लास्टिक ड्रमों में 570 लीटर मोटर स्प्रिट(पेट्रोल) व 06 ड्रमों में भरे हुए कुल 1140 लीटर HSD (डीजल) सील्ड सुदा को प्रकरण का निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु प्रभारी मालखाना पुलिस थाना सदर,नागौर की सुपुर्दगी में दिया जाकर फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उक्त सभी दस्तावेजों से रसद विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त अधिनियम धारा 6ए के तहत प्रस्तुत आवेदन में दिये गये तथ्यों की पुष्टि होती है। जबकि अप्रार्थीगण के कथन विधिक प्रावधानों के विपरित हैं,जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस सदर थाना,नागौर में उक्त अधिनियम धारा 3/7 के अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा देने एवं इस संबंध में सक्षम न्यायालय से निर्णय नहीं होने तक धारा 6ए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में कोई विधिक प्रावधान अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा धारा 6ए की कार्यवाही एवं धारा 3/7 की कार्यवाही पृथक–पृथक कार्यवाहियां है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य

कलक्टर नागौर

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का स्पष्ट उल्लघंन होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। इस प्रकरण में मुख्त्यारनामा खास सुनील चौधरी के नाम का पेश किया गया का अवलोकन करने से यह मुख्त्यारनामा खास दिनांक 25.03.2025 को नोटेरी पब्लिक हैं,यह प्रकरण के बाद का होने से बाद की कार्यवाही में ही लागू किया जा सकता हैं तथा वाहन मालिक बनकर सुनिल ने जो जबाब में तथ्य पेश किये जो स्वीकार योग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा पिकअप वाहन संख्या–आर.जे. 54 जी.ए. 0420 एवम् 03 प्लास्टिक ड्रम मय 570 लीटर पेट्रोल व 1140 लीटर डीजल मय 06 प्लास्टिक ड्रम का सम्पहरण (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त 03 प्लास्टिक ड्रम मय 570 लीटर पेट्रोल व 1140 लीटर डीजल मय 06 प्लास्टिक ड्रम का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा पिकअप वाहन संख्या–आर.जे. 54 जी.ए. 0420 के सम्पहरण के विकल्प में वाहन मालिक श्री सलीम पुत्र अल्ला बेली पर 50,000/–रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र)का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या–04 सुनिल (वाहन मालिक जरिऐ आम मुख्त्यार) द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय की दिनांक से 45 दिवस के भीतर उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। वाहन मालिक द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर उक्त जब्तसुदा पिकअप वाहन संख्या–आर.जे. 54 जी.ए. 0420 का नियमानुसार नीलामी करने का आदेश दिया जाता है एवं नीलामी से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। जिला रसद अधिकारी,नागौर निर्णय से वाहन मालिक सलीम को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6. निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
कलक्टर नागौर